यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), खण्ड-**II,** वा णज्य कर, कोटद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), खण्ड-**II,** वा णज्य कर, कोटद्वार के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नि खल गोस्वामी, व.ले.प. एवं श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों, द्वारा दिनांक 08.02.2018 से 16.02.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. <u>**(1)**परिचयात्मकः </u>इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 10/15 से 03/17 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – वा णज्य कर, कोटद्वार
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	-
2015-16	644.64
2016-17	888.55

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त > आयुक्त कर, वा णज्य कर> ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर> डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर> सहायक आयुक्त, वा णज्य कर> वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), खण्ड-**II,** वा णज्य कर, कोटद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), खण्ड-**II,** वा णज्य कर, कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह..... को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह......को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2 (ब)</u>

प्रस्तर सं0 01- कर का न्यूनारोपण `0.92 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल के भन्न माल के वक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरो पत होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-2 वा णज्य कर कोटद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री हिमालय टायर रिट्रे डंग वर्क्स क0नि0 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमश: `470438.00 व `606910.00 का ट्रेड रबड़ (Tread Rubber) की बिक्री की गयी थी। जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर अदा कया गया था। जब क Tread Rebber का प्रयोग टायर रिट्रे डंग मैटिरियल में प्रयोग कया जाता है जिसे पत्रांक 2163/ धारा-57 / आयुक्त कर उत्तराखण्ड देहरादून / 2008-09 दिनांक 19 सतम्बर 2008 के निर्णय के अनुसार Tread Rubber पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

इस प्रकार संगत वर्ष (2013-14 व 2014-15) में कुल `1077348.00 का Tread Rubber की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5 प्रतिशत की दर से `91574.00 का अतिरिक्त कर आरो पत होगा। जिसे जमा करने की ति थ तक ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

STAN

प्रस्तर सं0 0**1**- अर्थदण्ड का अनारोपण `0.07 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया गया है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) द्वतीय, कोटद्वार के कर निरधारण वर्ष 2013-14 के नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया क सर्वश्री सद्बली इण्टरप्राइजेज देवी रोड जानकी नगर, कोटद्वार द्वारा व भन्न माहों (माह अप्रैल 2013 तथा माह फरवरी 2014) के कर `40192.00 तथा `34450.00 वलम्ब से क्रमश: 31 मई 2013 तथा 23 अप्रैल 2014 को जमा कये गये हैं, नियमानुसार उपरोक्त देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत `7464 (4019+3445) का अर्थदण्ड आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), खण्ड-**II,** वा णज्य कर, कोटद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती शखा थप लयाल	अ स0 क म0
(ii)	श्रीमती मीनाक्षी त्यागी	अ स0 क म0
(iii)	श्री संजीव कुमार त्रिपाठी	अ स0 क म0

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0), खण्ड-**II,** वा णज्य कर, कोटद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र